प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

सेवा में,

समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पत्रांक/छात्रवृत्ति/2923-28/मु0अ0मे0बा0प्रो0यो0/आवेदन/2025–26 दिनांक 28 जून, 2025।

विषय– मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत के पत्रांक/40/स0क0/मु0अ0मे0बा0प्रो0यो0/आवेदन/2025–26 दिनांक 27 जून, 2025 के कम में अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना को आई0टी0डी0ए0 के द्वारा विकसित किए गए अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा दिनांक 20 जून, 2025 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जाने एवं आवेदन पत्रों को सत्यापित किए जाने का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है।

योजना का नाम	बालिकाओं द्वारा आवेदन ऑनलाइन प्रारम्भ किए जाने की तिथि	बालिकाओं द्वारा आवेदन किए जाने की अन्तिम तिथि	ऑनलाईन आवेदनों को जनपद स्तर पर सत्यापित किए जाने की तिथि
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना	दिनांक 21 जून, 2025	31 अगस्त, 2025	30 सितम्बर, 2025

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथियों को दृष्टिगत योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को आवेदन किए जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति एवं पात्रता की शर्तें पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
28/6/2025
(मेहरबान सिंह बिष्ट)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

पृ0सं0/छात्रवृत्ति/2923-28/मु0अ0मे0बा0प्रो0यो0/आवेदन/2025–26 दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय चम्पावत की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मा0शि0 जनपद–चम्पावत।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जनपद चम्पावत को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/6/2025
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

पत्रांक 1042 दिनांक 27-06-2025
प्रनुभाग मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना० मो० अपणि सरकार पोर्टल
मु०शि० अ० श्री -
चम्पावत

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

पत्रांक 405 /स0क0/मु.अ.मे.बा.प्रो.यो./आवेदन/2025–26 दिनांक 27 जून 2025

विषय – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 273 दिनांक 20 जून 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना को आई0टी0डी0ए0 के द्वारा विकसित किए गए "अपणि सरकार पोर्टल" के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कि निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा दिनांक 20 जून 2025 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जाने एवं आवेदन पत्रों को सत्यापित किए जाने का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है।

योजना का नाम	बालिकाओं द्वारा आवेदन ऑनलाइन प्रारम्भ किए जाने की तिथि	बालिकाओं द्वारा आवेदन किए जाने की अन्तिम तिथि	ऑनलाईन आवेदनों को जनपद स्तर पर सत्यापित किए जाने की तिथि
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना	दिनांक 21 जून 2025	31 अगस्त 2025	30 सितम्बर 2025

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथियों को दृष्टिगत योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को आवेदन किए जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। विज्ञप्ति एवं पात्रता की शर्तें पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न – उक्तानुसार।

भवदीय

(रवीन्द्र सिंह सामन्त)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चम्पावत।

पृष्ठांकन संख्या /तद्नुसार/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चम्पावत।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून.
Email.-ukdirectorminority@gmail.com phone:0135-2780122

विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या–422/XVII-B-1/2024-07(37)/2013, दिनांक 02 जुलाई, 2024 के क्रम में अल्पसख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कि अन्तर्गत **"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना"** का संचालन वित्तीय वर्ष 2024–25 से अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आनलाईन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत छात्राओं से **https://eservices.uk.gov.in** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है। प्रकिया पूर्णतः ऑनलाईन है तथा किसी भी प्रकार से ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की तिथि निम्नानुसार है :–

योजना का नाम	आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रारम्भ किये जाने की तिथि	आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि
"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना"	दिनांक 21 जून 2025	दिनांक 31 अगस्त, 2025

2 "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" से सम्बन्धित नियमावली संख्या–183/XVII-3/2016-07(37)/2013, दिनांक 15 फरवरी, 2016 एवं संशेधित शासनादेश संख्या–1158/XVII-3/2016-07(37)/2013, दिनांक 23 अगस्त, 2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ही प्रवीणता सूची के अनुसार विशेष अनुदान के रूप में निम्नवत् धनराशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हैः–

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि ₹ में	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि ₹ में	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि ₹ में
हाईस्कूल या मुंशी या मौलवी	₹10,000	₹15,000	₹20,000
इण्टरमीडिएट या आलिम	₹15,000	₹20,000	₹25,000

उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी छात्राओं की पात्रता की मुख्य शर्ते निम्नवत होगीः–

1. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएं पात्र होगी, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद, रामनगर/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की अधीन किसी विद्यालय /कालेज/मान्यता प्राप्त मदरसों से हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट/आलिम परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।
2. छात्रा के माता–पिता/अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे के श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹81,000.00 तथा शहरी क्षेत्र में ₹103000.00 से कम हो।
3. आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा।
4. योजना के अन्तर्गत संस्थागत अविवाहित छात्राएं पात्र होगी, जिनकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 01 जुलाई को 20 वर्ष से अधिक न हो।
5. छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय की हो।
6. छात्रा उत्तराखण्ड राज्य की मूल/स्थायी निवासी हो।
7. योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा अर्थात प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली छात्राओं की प्रवीणता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जायेगी। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी।
9. एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत समस्त वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किये जाने आवश्यक होगें।
11. ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी गलत सूचना अंकित किये जाने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
12. योजनान्तर्गत आवेदन की प्रकिया एवं भुगतान पूर्णतः ऑनलाईन है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र को भली भांति जांच कर ड्राफ्ट में Save करते हुए अंतिम तिथि तक पूर्ण कर Submit किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन के Submit होने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा और न हीं इस संबंध में इसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य होगा।

13. ऑनलाइन आवेदन में आवेदनकर्ता द्वारा गलत सूचना के आधार पर अनुदान की धनराशि प्राप्त किये की स्थिति में अनुदान की धनराशि नियमानुसार वसूल करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी।अ लायी जायेगी।

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

पत्रांक 268 /नि.अ.क./मु.मे.ब्रा.प्रो.यो/2025-26 दिनांक 20 जून, 2025
पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. निदेशक (प्रशासन) सूचना प्रौद्योगिकी, विकास एजेन्सी, (आई0टी0डी0ए0) सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उपरोक्तानुसार आवेदन ऑनलाईन प्रारम्भ किये जाने की तिथिनुसार पोर्टल पर ऑनलाईन प्रकिया प्रारम्भ करते हुए जनपदीय कार्यालय स्तर पर योजना के आवेदन पत्रों सत्यापित किये जाने की अंतिम तिथि को भी दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक अपडेट कराने का कष्ट करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबधित शिक्षण संस्थानों को उक्त योजना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं समस्त समाज कल्याण अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपदों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों को भी अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
7. सम्पादन अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति 15X10 के साईज में उत्तराखण्ड संस्करण में डी.ए.वी.पी दरों के आधार पर प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निदेशक।

राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल0ई0डी0 बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं0 1912)
विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाएं। (विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं0 18001804185/फैक्स संख्या– 0135–2760911 पर दें।)

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड

शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून,
Email.-ukdirectorminority@gmail.com phone:0135-2780122

पत्रांक 268 /नि.अ.क./मु.मे.बा.प्रो.यो/2025-26 दिनांक 20 जून, 2025

विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या-422/XVII-B-1/2024-07(37)/2013, दिनांक 02 जुलाई, 2024 के क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कि अन्तर्गत "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" का संचालन वित्तीय वर्ष 2024-25 से अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आनलाईन किया जा रहा है, जिसके, अन्तर्गत छात्राओं से https://eservices.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है तथा किसी भी प्रकार से ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की तिथि निम्नानुसार है :-

योजना का नाम	आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रारम्भ किये जाने की तिथि	आवेदन किये जांने की अंतिम तिथि
"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना"	दिनांक 21 जून 2025	दिनांक 31 अगस्त 2025

"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित नियमावली संख्या-183/XVII- 3/2016-07(37)/
2013, दिनांक 15 फरवरी, 2016 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-1158/XVII-3/2016-07(37)/2013, दिनांक 23
अगस्त, 2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष
मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे
अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ही प्रवीणता सूची के अनुसार विशेष अनुदान के रूप में निम्नवत् धनराशि
उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है:-

परीक्षा का स्तर	60% या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि रु. में	70% या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि रु. में	80% या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि रु. में
हाईस्कूल या मुंशी या मौलवी	रु.10,000	रु. 15,000	रु. 20,000
इण्टरमीडिएट या आलिम	रु. 15,000	रु. 20,000	रु. 25,000

उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी छात्राओं की पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नवत होगी:-
1. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएं पात्र होगी, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद,
रामनगर/ उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की अधीन किसी विद्यालय/कालेज/मान्यता प्राप्त मदरसों से हाईस्कूल/मुंशी/ मौलवी
एवं इण्टरमीडिएट/आलिम परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।
2. छात्रा के माता-पिता/अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे के श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक
आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 81,000.00 तथा शहरी क्षेत्र में रु. 103000.00 से कम हो। 3. आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग
के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा। 4. योजना के अन्तर्गत
संस्थागत अविवाहित छात्राएं पात्र होगी, जिनकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 01 जुलाई को 20 वर्ष से
अधिक न हो। 5. छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय की हो। 6. छात्रा उत्तराखण्ड राज्य की मूल/स्थायी निवासी हो। 7. योजना
का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा अर्थात प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने
वाली छात्राओं की प्रवीणता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जायेगी। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष
वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी। 9. एक दम्पंत्ति की अधिकतम दो
पुत्रियों को ही इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। 10. योजनान्तर्गत समस्त वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड
किये जाने आवश्यक होगें। 11. ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी गलत सूचना अंकित किये जाने पर ऑनलाईन
आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी एवं इस संबंध में किसी भी
प्रकार का पत्राचार स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा। 12. योजनान्तर्गत आवेदन की प्रक्रिया एवं भुगतान पूर्णतः
ऑनलाईन है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र को भली भांति जांच कर ड्राफ्ट में Save करते हुए अंतिम तिथि तक पूर्ण
कर Submit किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन के Submit होने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन
किया जाना संभव नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य होगा। 13. ऑनलाइन आवेदन
में आवेदनकर्ता द्वारा गलत सूचना के आधार पर अनुदान की धनराशि प्राप्त किये जाने की स्थिति में अनुदान की
धनराशि नियमानुसार वसूल करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल मे लायी जायेगी।

राजेन्द्र कुमार, निदेशक